रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3509]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939
No. 3509]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

का. आ. 4011(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित निकाय, "हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी" को, उसे होने वाली निम्न विशिष्ट आय के संबंध में एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि; और

(ख) सीसीटीएनएस धनराशि पर प्रोदभूत ब्याज।

2. यह अधिसूचना इस शर्त पर लागू होगी कि हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी;-

(क) किसी अन्य वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) पूरे वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति व गतिविधि अपरिवर्तनीय रहेगी; और

(ग) यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (च) के प्रावधानों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 पर लागू हुई समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-2018 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या: 100/2017, फा.सं.196/7/2015-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापनः- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।